

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-



श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 73 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00 160

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>817119</p> <p>24/7/19</p>	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली को द्योखित सूचना उपलब्ध कराते हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा अरिफ फोफ 934-35 डि 10-7-19 के लिखा जोके या लोक सूचना अधिकारी ने अरिफ फोफ 243 डि 17-7-19 के द्वारा अकाल कराया कि अपीलांट द्वारा द्योखित सूचना उनके द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 280 डि 10-6-19 के द्वारा अपीलाण्ट को द्योखित की जा चुकी है। अपील का निस्तारण कराया।</p> <p>चूंकि इस अपील में प्रस्ताव स्टा या फीस प्रकाश की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील इसी स्टा या फोफ की जारी है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से न्यायालय के फाइल की आकट नम्बर से कर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>934-35 10-7-19</p>